5/2/18 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 07/2/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

07/2/18 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23/2/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

23/2/18 वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय संलग्न से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता शामिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर)

5/3/18 आज यह पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रस्तुत 152 C.P.C. पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में किसी पक्ष को आपत्ति नहीं होने से स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय व डिक्री दिनांक 23/2/18 में वादी के हिस्से में प्रतिवादी सं. उग्रचरण के नाम की जगह वादी की रहेगी दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार संशोधित पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। (हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :– प्रकरण संख्या 348 सन् 2017

कलवन्तसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण।

बनाम

1. बूटासिंह
2. शमशेरसिंह

पिसरान गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. गुरचरणसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. चन्दसिंह
5. दर्शनसिंह

पिसरान सुच्चासिंह जाति जटसिख निवासीयान रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।
बाबत घोषणा एवं तकसीम।

उपस्थित :–
1. श्री अनिल कुमार शर्मा। अभिभाषक वादीगण।
2. श्री प्रदीप मोहन भाटी। अभिभाषक प्रतिवादीगण।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। पैरोकार राज।

निर्णय दिनांक :– 23.02.2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 13.09.2017 को विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट इस आश्य का पेश किया कि वाद में पक्षकारान का पंजीबद्ध पता पत्र व्यवहार हेतु शीर्षकानुसार है जो कि सही है। वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक 3 आरआरडब्ल्यू 'ए' के खाता संख्या 38/37 प.नं. 133/230(46) के किला नं. 22–23/1, 24/2, प.नं. 134/231(48) के किला नं. 18, प.नं. 133/231(49) के किला नं. 3–4–5–6 कुल 1.821 हैक्टयर, इसी चक के खाता सं. 37/38 के प.नं. 128/226(9) के कि.नं. 23/2, प.नं. 128/227 (22) के किला नं. 3–8, प.नं. 134/229 (31) किला नं. 10–11, प.नं. 133/230(46) कि.नं. 11–20, प.नं. 134/231(48) के कि.नं. 1–2–3–8–9–10–11–12–13 कुल 3.834 हैक्टयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, इसके अलावा चक 3 आरआरडब्ल्यू 'ए' के खाता सं. 175/165 के प.नं. 134/227 (18) के किला नं. 18/2, 11, 12, 13, 19, 20, 21, प.नं. 133/227(17) के किला नं. 14 ता 25, प.नं. 132/227(18) के किला नं. 25 कुल 4.933 हैक्टयर में प्रतिवादी सं. 3 के नाम 0.822 हैक्टयर हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमि को अच्छी मंदी के हिसाब से वादी एवं प्रतिवादीगण ने घरेलू बंटवारा कर रखा है जिस क्रम में वादी कलवन्तसिंह को चक नं. 3 आरआरडब्लयू 'ए' के प.न 134/231 (48) कि.नं. 18, प.नं. 128/227(22) का किला नं. 3, प. न. 134/231(48) कि.नं. 3–8–13 कुल 1.265 हैक्टयर व प्रतिवादी सं. 3 गुरूचरण के नाम चक 3 आरआरडब्लयू 'ए' के खाता सं. 175/165 में दर्ज 0.822 हैक्टयर भूमि प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण के ही परिवार के सदस्य है जिसने वाद पत्र की मद सं. 3 में वर्णित भूमि में अपने हक हिस्सा .085 हैक्टयर का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को कर दिया है जिसकी एवज में अपने हक हिस्सा को पंजाब राज्य में स्थित वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की पैतृक कृषि भूमि प्राप्त कर ली है व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 3 जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1–2 के पिता है, ने उक्त कृषि भूमि में 0.822 हैक्टयर हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है जिसके पश्चात वाद में वर्णित कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है किन्तु खाता मे नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने से वादी व हक हकूक पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए वादी प्रतिवादी स. 3 व 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी ने कई दफा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादी को मुताबिक हक हकूक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित करवा देवें व मुताबिक कब्जा काश्त खाता अलग कायम करवा दो तो पहले तो टाल मटोल करते रहे, गत सप्ताह इन्कार हो गये, यही वाद कारण है। वादी श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 2

Scanned by CamScanner

3

उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वादी कलवन्तसिंह को प्रतिवादी सं. 3 व 4 का नाम खाता से कलमजन कर वादी को चक नं. 3 आरआरडब्ल्यू 'ए' के प.नं. 134/231 (48) किला नं. 18, प.नं. 128/227(22) किला नं. 3, प.नं. 134/231(48) किला नं. 3-8-13 कुल 1.265 हैक्टयर व प्रतिवादी सं. 3 गुरचरण के नाम चक 3 आरआरडब्लयू 'ए' के खाता सं. 175/165 में दर्ज 0.822 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार रकमराज व खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम किया जावे व खर्ची मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनाक 31.01.2018 को प्रतिवादीगण नं. 1, 2 व 5 की ओर से जवाब वाद मय काउन्टर क्लेम दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए इस आश्य का पेश किया कि वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी नं. 1 बुटासिंह को चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 134/229 (31) के किला नं. 10, प.नं. 134/231(48) किला नं. 1-2-9-10-11-12, प.नं. 133/230(46) कि.नं. 24/2 में 71 फीट प.नं. 128/227 (22) के कि.नं. 8 का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 2 शमशेरसिंह को चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 128/226(9) के किला नं. 23/2/.039, प.नं. 133/231(49) के किला नं. 3, 4, 5, 6, प.नं. 133/230(46) के किला नं. 11, 20, 22, 23/.088, 24/2 में 93 फीट, प.नं. 134/229(31) के किला नं. 11 का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 5 दर्शनसिंह को चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 133/230(46) के किला नं. 23 का 1 बिस्वा यानि 0.013 हैक्टयर भूमि प्राप्त है का काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 3 ने इकबाल जवाब पेश किया कि वाद वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1, 2 व 5 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि कोई ऐतराज नहीं है।

प्रतिवादी सं. 4 ने जवाब इकबाल इस आश्य का पेश किया कि प्रतिवादी ने 0.085 हैक्टयर अपने हिस्से की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को त्याग कर दी है। प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा शेष नहीं है। प्रतिवादी का उक्त हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं. 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमाया जावे।

वादी ने अपने वादी की ताईद में बतौर दस्तावेजी सबूत छायाप्रति जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 चक 3 आर.आर.डब्लयू 'ए' खाता सं. 38/37, छायाप्रति जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 चक 3 आर.आर.डब्लयू 'ए' खाता सं. 37/38, छायाप्रति जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 चक 3 आर.आर.डब्लयू 'ए' खाता सं. 175/165, फोटाप्रति पहचान पत्र आदि पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष ने वाद-पत्र एवं जवाब वाद पत्र मय काउन्ट अनुसार डिक्री किये जाने हेतु तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन कि सभी पक्ष सहमत है।

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति उभय पक्ष अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि उभय पक्ष की सहमति अनुसार **वादी कलवन्तसिंह** चक नं. 3 आरआरडब्लयू 'ए' के प.नं. 134/231 (48) कि.नं. 18, प.नं. 128/227(22) का किला नं. 3, प.नं. 134/231(48) कि.नं. 3-8-13 कुल 1.265 हैक्टयर व प्रतिवादी सं. 3 गुरूचरण के नाम चक 3 आरआरडब्लयू 'ए' के खाता सं. 175/165 में दर्ज 0.822 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी नं. 1 बुटासिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 134/229 (31) के किला नं. 10, प.नं. 134/231(48) किला नं. 1-2-9-10-11-12, प.नं. 133/230(46) कि.नं. 24/2 में 71 फीट प.नं. 128/227 (22) के कि.नं. 8 का खातेदार काश्तकार होगा। **प्रतिवादी सं. 2 शमशेरसिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 128/226(9) के किला नं. 23/2/.039, प.नं. 133/231(49) के किला नं. 3, 4, 5, 6, प.नं. 133/230(46) के किला नं. 11, 20, 22, 23/.088, 24/2 में 93 फीट, प.नं. 134/229(31) के किला नं. 11 का का खातेदार काश्तकार होगा। **प्रतिवादी सं. 5 दर्शनसिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 133/230(46) के किला नं. 23 का 1 बिस्वा यानि 0.013 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार होगा। प्रतिवादी नं. 3, 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। इसी अनुसार वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जावे। तादाद 200/- रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वंय अपना-अपना वहन करेंगें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमिल जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनाक 23.02.2018 को बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(4) 4

अन्तिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :–

कलवन्तसिंह पुत्र गुरमरणसिंह जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण।

बनाम

1. बूटासिंह
2. शमशेरसिंह

पिसरान गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. गुरचरणसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. चन्दसिंह
5. दर्शनसिंह

पिसरान सुच्चासिंह जाति जटसिख निवासीयान रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।
प्रकरण संख्या 348 सन् 2017 निर्णय दिनांक 23.02.2018

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादी श्री अनिल कुमार शर्मा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण श्री प्रदीप मोहन भाटी तथा पैरोकार राज तहसीलदार हनुमानगढ़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद–वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि उभय पक्ष की सहमति अनुसार **वादी कलवन्तसिंह** चक नं. 3 आरआरडब्लयू 'ए' के प.नं. 134/231 (48) कि.नं. 18, प.नं. 128/227(22) का किला न. 3, प.नं. 134/231(48) कि.नं. 3–8–13 कुल 1.265 हैक्टयर व प्रतिवादी सं. 3 गुरूचरण के नाम चक 3 आरआरडब्लयू 'ए' के खाता सं. 175/165 में दर्ज 0.822 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी नं. 1 बुटासिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 134/229 (31) के किला नं. 10, प. नं. 134/231(48) किला नं. 1–2–9–10–11–12, प.नं. 133/230(46) कि.नं. 24/2 में 71 फीट प.नं. 128/227 (22) के कि.नं. 8 का खातेदार काश्तकार होगा। **प्रतिवादी सं. 2 शमशेरसिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 128/226(9) के किला नं. 23/2/.039, प.नं. 133/231(49) के किला नं. 3, 4, 5, 6, प.नं. 133/230(46) के किला नं. 11, 20, 22, 23/. 088, 24/2 में 93 फीट, प.नं. 134/229(31) के किला नं. 11 का का खातेदार काश्तकार होगा। **प्रतिवादी सं. 5 दर्शनसिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 133/230(46) के किला नं. 23 का 1 बिस्वा यानि 0.013 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार होगा। प्रतिवादी नं. 3, 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। इसी अनुसार बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जावे। तादाद 200/– रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी–प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। आज दिनाक 23.02.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(5)

संशोधित पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

अनवान :–

कलवन्तसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण।

बनाम

1. बूटासिंह
2. शमशेरसिंह

पिसरान गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. गुरचरणसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. चन्दसिंह
5. दर्शनसिंह

पिसरान सुच्चासिंह जाति जटसिख निवासीयान रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।
प्रकरण संख्या 348 सन् 2017 निर्णय दिनांक 05.03.2018

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादी श्री अनिल कुमार शर्मा तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण श्री प्रदीप मोहन भाटी तथा पैरोकार राज तहसीलदार हनुमानगढ़ की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद–वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि उभय पक्ष की सहमति अनुसार **वादी कलवन्तसिंह** चक नं. 3 आरआरडब्लयू 'ए' के प.नं. 134/231 (48) कि.नं. 18, प.नं. 128/227(22) का किला नं. 3, प.नं. 134/231(48) कि.नं. 3–8–13 कुल 1.265 हैक्टयर व वादी के नाम चक 3 आरआरडब्लयू 'ए' के खाता सं. 175/165 में दर्ज 0.822 हैक्टयर भूमि रहेगी। **प्रतिवादी नं. 1 बुटासिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 134/229 (31) के किला नं. 10, प.नं. 134/231(48) किला नं. 1–2–9–10–11–12, प.नं. 133/230(46) कि.नं. 24/2 में 71 फीट प.नं. 128/227 (22) के कि.नं. 8 का खातेदार काश्तकार होगा। **प्रतिवादी सं. 2 शमशेरसिंह** चक 3 आर.आर. डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 128/226(9) के किला नं. 23/2/.039, प.नं. 133/231(49) के किला नं. 3, 4, 5, 6, प.नं. 133/230(46) के किला नं. 11, 20, 22, 23/.088, 24/2 में 93 फीट, प.नं. 134/229(31) के किला नं. 11 का का खातेदार काश्तकार होगा। **प्रतिवादी सं. 5 दर्शनसिंह** चक 3 आर.आर.डब्ल्यू. 'ए' प.नं. 133/230(46) के किला नं. 23 का 1 बिस्वा यानि 0.013 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार होगा। प्रतिवादी नं. 3, 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। इसी अनुसार बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जावे। तादाद 200/– रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी–प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेगे। आज दिनांक 05.03.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
एवं हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner